

एमपी से जोधपुर ले जाई जा रही अवैध हथियारों की खेप पकड़ी, एक गिरफ्तार

जब्त हथियार आगामी दिनों में किसी बड़ी वारदात में इस्तेमाल होने की संभावना जताई

अजमेर, (कासं)। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग) को निरुद्ध किया है। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है, जो आगामी दिनों में किसी बड़ी वारदात में इस्तीमाल हो सकते थे। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी की पहचान बाड़मेर सदर निवासी नवाब अली के रूप में हुई है। नवाब अली के कब्जे से चार देशी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस (7.65 एम.एम) बरामद हुए हैं। बाल

- पांच पिस्टल, 12 कारतूस और गोला-बारूद के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, एक नाबालिक निरुद्ध**
- आरोपियों ने बताया कि ये हथियार मध्य प्रदेश से लेकर आए थे और जोधपुर में किसी गैंग या व्यक्ति को सप्लाई किए जाने थे**

अपचारी के कब्जे से एक देशी पिस्टल जब्त की गई।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई :-जीआरपी पुलिस को मुखबिर के जरिए एक पुख्ता सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि अवैध हथियारों के साथ कुछ संदिग्ध व्यक्ति मध्य प्रदेश से ट्रेन के जरिए अजमेर पहुंच रहे हैं। इस इनपुट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने

अजमेर रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी और नाकाबंदी शुरू कर दी। जैसे ही संदिग्ध स्टेशन पर पहुंचे, पहले से मुस्तैद पुलिस टीम ने उन्हें घेरकर हिरासत में ले लिया।

जोधपुर में होनी थी हथियारों की सप्लाई :-तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस की प्रारंभिक

पूछताछ में एक बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने बताया कि वे ये हथियार मध्य प्रदेश से लेकर आए थे और इनका गंतव्य जोधपुर था। यानी, ये हथियार जोधपुर में किसी गैंग या व्यक्ति को सप्लाई किए जाने थे।

पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को अब

पुलिस रिमांड के दौरान उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है।

अवैध मादक पदार्थ सहित एक गिरफ्तार : ब्यावर में जिला स्पेशल टीम व थानाधिकारी पुलिस थाना जवाजा मय टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध मदाक

पदार्थ 1.371 किलोग्राम गांजा व 143 ग्राम अफीम जब्त किया गया है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को जिला स्पेशल स्पेश टीम व प्रशिक्षु आरपीएस अनिल पंवार थाना जवाजा को विशेष सुत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गोहाना रिको परिया में एक दुकान पर एक व्यक्ति अवैध गांजा व अफीम बेच रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गोहाना रिको परिया में पहुंच दुकान की तलाशी ली। दुकान से अवैध मादक पदार्थ गांजा व अफीम मिला जिसको जब्त कर आरोपी चेतन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत निवासी गोहाना को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ व अनुसंधान जारी है।

नाबालिग छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई की मांग

डूंगरपुर, (निस्)। सरदार पटेल सेना ने धम्बोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय में आईजी एस परिमला से भेंट की। सरदार पटेल सेना ने इस मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में कराने की अपील की है। उन्होंने एक महीने के भीतर सभी सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश करने और तीन महीने के अंदर दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।

सरदार पटेल सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुनील पटेल ने मंत्री पटेल से मांग करते हुए धम्बोला थाना क्षेत्र में एक अन्य समुदाय के युवक ने छात्रा को प्रताड़ित किया था। छात्रा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण

- पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेना ने आईजी एस परिमला से मुलाकात की**
- आईजी एस परिमला से मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में कराने की अपील की**

छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोषियों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की।

महेंद्र डांगी ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वसमाज एकजुट हुआ है। उन्होंने जोर

दिया कि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगें मानी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि बेटी की मौत महीने के भीतर न्याय मिले। उन्होंने पुलिस विभाग से मामले से जुड़े सभी फॉरेंसिक और जांच सबूतों के साथ एक महीने में कोर्ट में चालान पेश करने और सरकार से जल्द सुनवाई कर तीन महीने में कड़ी सजा सुनाने की अपील की। इस मामले में पुलिस और सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ताकि आरोपी सबूतों के अभाव में छूट न जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटी को न्याय नहीं मिलने पर आक्रोश आंदोलन को अभी केवल स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा।

जोधपुर, (कासं)। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के करणीसर गांव की सरहद में आठ दिन पहले बेहोशी की हालत में मिले युवक की एमडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने युवक के अपहरण, मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मोचरी के बाहर धरना देकर कार्रवाई की मांग की।

शेरगढ़ थानाधिकारी बुद्धराम ने बताया कि भांडू चारणाम निवासी रामराम पुत्र भूपराम भील ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि उनका भतीजा लीसाराम (22) पुत्र खुंगाराम गत 17 दिसंबर की शाम करीब चार बजे बलाऊ रोड पर बर्तन बेचने वाले सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ निवासी केलाराचंद्र पुत्र रूपराम खटीक से विवाद में उलझ

- मृतक के परिजनों ने युवक के अपहरण, मारपीट और हत्या का आरोप लगाया**
- परिजनों और ग्रामीणों ने मोचरी के बाहर धरना देकर कार्रवाई की मांग की**

गया था। आरोप है कि लीसाराम कुछ बर्तन अपने साथ ले गया था, जिन्हें बाद में गांव के दुकानदार ईश्वरदास और उनके साथियों ने वापस दिलवा दिया। इसके बाद लीसाराम ने अपने भाई को फोन कर सौ रूपए पेट्रोल के लिए भेजने को कहा था। उसने यह भी बताया था कि कुछ लोग

दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया

डूंगरपुर, (निस्)। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्थलाइन 1०98 पर सूचना मिली कि यहाँ साबला थाना क्षेत्र में ऊँसाईराम रेस्टोरेंट एण्ड नाश्ता सेन्टर पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जिनकी उम्र 14–15 वर्ष है। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. कल्पित शर्मा ने बताया कि चाइल्ड हेल्थलाइन समन्वयक मेहुल शर्मा के निर्देशन में गुरुवार को केश सूरजवाड़जर नारायणलाल बरण्डा, अनीता भील व महेन्द्र कलाल ने इसकी सूचना पुलिस व संबंधित विभाग को दी। जिसके बाद चाइल्ड हेल्थलाइन टीम, साबला पुलिस व सृष्टि सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र में ऊँसाईराम रेस्टोरेंट एण्ड नाश्ता सेन्टर से दो बालक, को बालश्रम से मुक्त करवाया गया। इन बच्चों को अग्रिम सहायता के लिए उन्हें बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश जैन, सदस्य उमेश रावल बालकृष्ण परमार व जयश्री भट्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से बच्चों को अग्रिम आदेश तक राजकीय किशोर गृह में अस्थाई आश्रय प्रदान किया।

सूने मकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

डूंगरपुर, (निस्)। शहर की पत्रकार कॉलोनी में एक मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने मकान के पिछले हिस्से में बने एक कमरे को निशाना बनाया और चांदी की तीन अंगूठियां, एक चांदी का ब्रेसलेट तथा तीन हजार रूपए चुरा ले गये। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दो चोर नजर आ रहे हैं।

पत्रकार कॉलोनी निवासी भाविक गर्ग ने बताया कि मकान के पिछले हिस्से में एक कमरा बना है। घटना के दिन दोपहर में वह मकान के ऊपरी हिस्से में था। शाम को जब वे नीचे आया, तो कमरे का ताला टूटा हुआ मिला। जांच करने पर भाविक ने पाया कि कमरे में रखी

दराज से चांदी की तीन अंगूठियां और एक चांदी का ब्रेसलेट गायब था। इसके सामने आई है। चोरों में रखे तीन हजार रूपए नकद भी चोरी हो गए थे। इसके बाद भाविक ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में दो चोर दिखाई दिए। एक बदमाश मोटरसाइकिल पर बाहर इंतजार कर रहा था, जबकि दूसरा बदमाश घर का गेट खोलकर अंदर घुसा। उसने कमरे का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने भाविक गर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	
क्रमांक-बि.सं.-14/Exam/AD & SSO/Home (Gr.-I)/RPSC/EP-1/2025-26 आयोग द्वारा राज्य विधि विभाग प्रयोगशाला, जयपुर राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत सहायक निदेशक (डीएनए खण्ड) एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विभिन्न 05 खण्ड) के कुल 28 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अर्थात् उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विधानपत्र का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है:- आयु सीमा	दिनांक-23.12.25 दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदन अवधि	दिनांक 29.12.2025 से दिनांक 27.01.2026 रात्रि 12.00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
सुरागढ़ सृष्ट सफल पौष्टी टैलर, सुरागढ (रा.)		
ऑनलाइन/ऑफलाइन निविदा आमंत्रण सूचना		
निम्नलिखित वार्षिक अनुबंध / कार्य / सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है:- 252(RVU2526WSO801858) विभिन्न पम्पो, ऑयल सिल्टरम एवं सहायक उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव, 253(RVU2526WSRC01854) वेल्डिंग, टैक, पाइप और फिटिंग्स की लाइनिंग, 254(RVU2526SLOB01859) दैनिक कार्यों के संचालन में सहायता हेतु, 255(RVU2526WSO801855) कोयला मिलोले वैग्रेमिट्रीक फीडर, बर्त पैनल, MRMHS, डकटर और डैमर्य, रोटरी सेवकन से जुड़े अन्य संबंधित घटकों की मरम्मत / निर्माण, 256(RVU2526WSRC01857) ईंधनगैट एयर कंटेनर का नवीनीकरण / पुनर्स्थापन / मरम्मत, 257(RVU2526WSO801852) 3.०, 6.6 KV एचटी इडवरशन मोटर्स की रिवाइरिंग और मरम्मत, 346(RVU2526GLOB01870) मोटर सहित सम्म वाटर पंप, 350(RVU2526GLOB01867) बॉल्यूम बूस्टर और एयर लॉक रिले, 352(RVU2526GLOB01846) हीटिंग एलिमेंट्स, 353(RVU2526GLOB01861) रीहीटर कॉइल, 357(RVU2526GLOB01865) प्रयोगशाला उपकरण, 347(RVU2526GSOB01864) सील ऑयल पंप के मोटर, 349(RVU2526GSOB01863) रूल्मे स्क्रीन और लिमिट स्विच, 351(RVU2526GSOB01862) ऑइल सील, 354(RVU2526GSOB01876) फर्नीचर और उपकरण, 355(RVU2526GSOB01866) इंटरमीडिएट सर्ज होवर, 356(RVU2526GSOB01875) ट्रांसमीटर एवं 358(RVU2526GSOB01860) स्टील की अलमारी की आपूर्ति। विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in (ई-निविदा हेतु), www.sppp.rajjasthan.gov.in एवं www.energy.rajjasthan.gov.in/rvun/ पर उपलब्ध है।		
रक.संवा.रं.सी/25/16518	RVUN/PR-4315	पडिगोराना प्रमूख (सुरागढ सृष्ट फिरीकल)

धातु निर्मित मांझा प्रतिबंधित

टोंक, (निस्)। लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विषुत्त प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कल्पना अग्रवाल ने धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलॉन, प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा जो सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) के थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधित के आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सायं 5 से 7 बजे की समयवाध में पतंगबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, यह आदेश 31 जनवरी 2०26 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।

Office of the Superintendent Engineering and Project Manager WCDC, Karauli	
File No. :-	Date :-
Notice inviting Bid	
NIB No 33/2025-26 JAN 2025	
Bids for Talab, Talai, ECD, Mpt, LSCD, ECD, Pakka check dam, Recharge shaft, RTWH5, Anicut e.t.c of PMKSY 2.0 estimated value INR 180.32 Lacs (89.41+90.91) are invited from interested bidders upto to 06:00 PM, 01-01-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajjasthan.gov.in or https://sppp.rajjasthan.gov.in/) of the state and department website (https://water.rajjasthan.gov.in/wdc). UBN No- WSC2526WSRC02120, WSC2526WSRC02121	
Raj.Samwad /C/25/16508	Superintending Engineer and Project Manager WCDC Zila Parishad Karauli

कार्यालय जिला कलक्टर, जालोर (राज.)	
क्रमांक-लेखा/बोली/2025/1485	दिनांक- 24.12.2025
निविदा सूचना	
इच्छुक बोलीदाताओं से RRCMS प्राजेक्ट लागू किये जाने के तहत हाईवेयर क्रय करने हेतु प्रतियुक्त सरभानी पंजीकृत फर्मों/ब्यवसायियों/दलकों से खुली बोली दर संविदा हेतु बोलियां लिखित 30.12.2025 दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित अन्य विवरण राजस्थान लोक उपायन पोर्टल http://sppp.rajjasthan.gov.in एवं https://eproc.rajjasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।	
UBN- CJL2526GLRL00030	
DIPRC/19191/2025	जिला कलक्टर जालोर

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्पल घड़ियाल अभ्यारण्य, धौलपुर	
महिला पुलिस थाने के पास हाइवेसि बॉर्ड पुरानी खवनी, धौलपुर पिन कोड 328001	
Email ID-cdwl.ncs.fores@gmail.com	
क्रमांक-एफ।/उवस/वजीसी./परायण/2025/26/3700	दिनांक-26/19/12/25
Notice Inviting Bid	
Bid for construction of Residency At Division Office of Range Wildlife Vanvihar Dholpur are invited from interested bidders upto 12.00 AM, 31.12.2025. other particulars of bid may be visited on the procurement portal(http://sppp.rajjasthan.gov.in in http://EProc.rajjasthan.gov.in of the state. The approximate value of the procurement is 47.77 lakhs.	
UBN NO. FOR2526WSOB03906	
DIPRC/19038/2025	(डॉ. आशीष व्यास) उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्पल घड़ियाल अभ्यारण्य, धौलपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अमेट	
क्रमांक-1953	दिनांक-22.12.2025
संशोधित निविदा सूचना संख्या 23/2025-26	
इस वार्षिक/द्वार द्वार जरी निर्मित सुचना संख्या 23/2025-26 दिनांक 10.12.2025 की विनियम के विनियमन संशोधन किए जाते हैं।	
पूर्व में जारी दिनांक	संशोधित दिनांक
1. ऑनलाईन निविदा आवेदन /बतन लौक करने की दिनांक	1. दिनांक 12.12.2025 प्रात 10.00 बजे से दिनांक 10.12.2025 को सायं 6.00 बजे तक
2. ऑनलाईन निविदा अना करने की दिनांक	1. दिनांक 12.12.2025 प्रात 10.00 बजे से दिनांक 29.12.2025 को सायं 6.00 बजे तक
3. ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक	1. दिनांक 30.12.2025 प्रात 11.00 बजे
UBN NO. FOR2526WSOB18684, PWD2526WSOB18685	दिनांक 30.12.2025 प्रात 11.00 बजे
OD No.-18458	
निविदा की अन्त की अवधि समान रहेगी।	
DIPRC/19070/2025	अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अमेट

दो महीने से फरार गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार

गंगापुर सिटी, (निस्)। पीलीदा थाना पुलिस ने 2 महीने से फरार चल रहे गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर जिला पुलिस ने पांच-पांच हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा था। यह कार्रवाई सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और गंगापुर सिटी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में की गई।

गंगापुर सिटी वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में पीलीदा थानाधिकारी ने 3 अलग-अलग टीमों गठित की थीं। इन

- पुलिस ने 5-5 हजार का इनाम घोषित कर रखा था**

टीमों ने तकनीकी और सायबर इनपुट का उपयोग करते हुए लगातार दिशों दी। आरोपियों को दोसा जिले के लालसोट से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। यह मामला 21 अक्टूबर 2025 का है। पीलीदा थाना क्षेत्र के एक गांव के

सड़क किनारे खड़े टैंकर को ट्रैलर ने टक्कर मारी

दोनों वाहनों के बीच में फंसने टैंकर चालक की मौत

जयपुर। चाकसू थाना इलाके में शुक्रवार सुबह सड़क किनारे खड़े टैंकर को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैलर ने टक्कर मार दी। नेशनल हाईवे-52 पर हुए इस हादसे में ट्रैलर की टक्कर से टैंकर के पीछे पीछे खड़ा ड्राइवर दोनों वाहनों के बीच में दब गया, जिससे चालक की मौके हो गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया।

थानाधिकारी मनोहरलाल मेघवाल ने बताया कि चाकसू थाना इलाके में स्थित हुकण गांव के पास केमिकल से भरे कैम्पूल टैंकर का टायर फट गया था। चालक बूंदी जिले के बहड़ा वाली गांव निवासी केलारा मोण (39) पुत्र परमानंद ने रोड़ किनारे टैंकर को खड़ा किया और टायर का बदल रहा था। इसी दौरान पीछे से आए

- चाकसू इलाके में हुकण गांव के पास हुआ हादसा**
- टक्कर के बाद टैंकर से केमिकल हाईवे पर बह गया**

तेज रफ्तार बजरी के ट्रैलर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक दोनों वाहनों और बजरी के बीच फंस गया, जिससे उसकी मौके की ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल हेल्पर करौली जिले के बरेड़ा निवासी भगवान (32) पुत्र छोटू लाल भील है। घायल को एम्बुलेंस से जयपुरिया अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैलर चालक हादसे के बाद

मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैलर के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है।

दुर्घटना थाना के ईंचार्ज राम रतन चौधरी ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैलर का केबिन पूरा टैंकर की चरफ मसूड गया और बजरी भी टैंकर पर गिर गई। इससे बीच में खड़ा ड्राइवर दोनों वाहनों और बजरी के बीच फंस गया। क्रेन की मदद से चालक के शव को वाहनों और बजरी के बीच से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद केमिकल से भरे टैंकर से केमिकल रिसाव होने लगा, जिससे रेस्क्यू और भी कठिन हो गया। वहीं सड़क पर पूरा केमिकल बह जाने की वजह से जाम लग गया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से रोड़ से साइड में करवाकर यातायात सुचारु किया।

दुर्घटना थाना इलाके में शुक्रवार सुबह सड़क किनारे खड़े टैंकर को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैलर ने टक्कर मार दी। नेशनल हाईवे-52 पर हुए इस हादसे में ट्रैलर की टक्कर से टैंकर के पीछे पीछे खड़ा ड्राइवर दोनों वाहनों के बीच में दब गया, जिससे चालक की मौके हो गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया।

थानाधिकारी मनोहरलाल मेघवाल ने बताया कि चाकसू थाना इलाके में स्थित हुकण गांव के पास केमिकल से भरे कैम्पूल टैंकर का टायर फट गया था। चालक बूंदी जिले के बहड़ा वाली गांव निवासी केलारा मोण (39) पुत्र परमानंद ने रोड़ किनारे टैंकर को खड़ा किया और टायर का बदल रहा था। इसी दौरान पीछे से आए

अर्मांडोल, प्रेगा एण्ड कोर्ट, कोडीन सिरप जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया था। अवैध अफीम सहित दो गिरफ्तार : तलाशी अभियान के दौरान अम्बामाता थानाधिकारी मुकेश सोनी ने रानी रोड़ शमशान घाट से आरोपी नवदीपसिंह पुत्र सूरजप्रसिंह चौहान निवासी श्रीनगर कॉलोनी रामपुरा को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से प्रतिबंधित दवा की 47० शिशियां जब्त कर प्रकरण

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान							
गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर							
टेलीफोन नम्बर :- ०1462-230051 ई-मेल :- npvjaynagar@gmail.com							
क्रमांक नपा.वि / भूमि हाता / 2024-25 / 5261		सार्वजनिक ई-नीलामी सूचना			दिनांक :- 23.12.2025		
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिजयनगर शहर गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्डों उनके निम्न सामने अंकित तिथि को ऑनलाईन माध्यम से नीलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार 99 वर्ष की लीज होल्ड के आधार पर की जायेगी। इच्छुक कय कर लाभ उठाये। उक्त बेचना पर राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन 1974 के समस्त व समय-समय पर जारी परिपत्र लागू रहेगे।							
क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड साईज प्रति भूखंड	बोली प्रारम्भ राशि	रिजर्व केवल लीज /अवयम अतिरिक्त गणना हेतु	नीलामी आरम्भ तिथि	घरोहर / भाग लेने वाली जमा करने तिथि	घरोहर राशि एवं भाग लेने हेतु राशि प्रत्येक भूखण्ड
1	B-21 से B-28 B-42 से B-49 B-34,B-62, B-63,B-64 B-67, B-38,B-65, B-53B-57,B-59 (कुल 26) (कॉर्नर भूखण्ड B-65, B-53)	30X64 फिट प्रति भू-खण्ड	5,00,000 प्रति भूखण्ड	2,32,320 प्रति भूखण्ड	08.01.2026 से 12.01.2026 तक	08.01.2026 से 12.01.2026 तक	1००००Rs &1300Rswith gst per plot
2	A146A,144A,153A-90, A-92A-93A-95A-96, A-99A-101A-103A-97 (कुल 12) (कॉर्नर भूखण्डA-153, A-96, A-97)	30X64 फिट प्रति भू-खण्ड	5,00,000 प्रति भूखण्ड	2,32,320 प्रति भूखण्ड	12.01.2026 से 14.01.2026 तक	12.01.2026 से 14.01.2026 तक समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक	1००००Rs &1300Rswith gst per plot
3	B-108,B110,B-111,B-220, B-221,B-222,B-223,B-230 B-232,B-71,B-225, B-226,B-227,B-219 B-231,B-106,B-109, B-115,B-107,B-68,B-69, B-71 (कुल 22) (कॉर्नर भूखण्ड B-106)	30X60 फिट प्रति भू-खण्ड	5,00,000 प्रति भूखण्ड	2,17,800 प्रति भूखण्ड	14.01.2026 से 16.01.2026 तक	14.01.2026 से 16.01.2026 तक समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक	1००००Rs &1300Rswith gst per plot
	B-123, B-104, B-97, (कुल 03) (कॉर्नर भूखण्ड) A-50A-85(कुल 02) (कॉर्नर भूखण्ड) B-147, B-165, B-148 (कुल 03) (कॉर्नर भूखण्ड)	25x53 फिट प्रति भू-खण्ड	3,00,000 प्रति भूखण्ड	1,60,325 प्रति भूखण्ड	19.01.2026 से 20.01.2026 तक	19.01.2026 से 20.01.2026 तक समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक	६०००Rs &1200Rswith gst per plot
		18x49 फिट प्रति भू-खण्ड	200000 प्रति भूखण्ड	106722 प्रति भूखण्ड			4०००Rs &1000Rswith gst per plot
		18x25 फिट प्रति भू-खण्ड	1,00,000 प्रति भूखण्ड	54450 प्रति भूखण्ड			2500Rs &1000Rswith gst per plot
4	BS-01 से BS-16 (कुल 16)	16X30 फिट प्रति भू-खण्ड	3,00,000 प्रति दुकान	1,67,850 प्रति दुकान	22.01.2026 से 23.01.2026 तक	22.01.2026 से 23.01.2026 तक समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक	६०००Rs &1000Rswith gst per plot
5	BS-19 से BS-22 AS-11 से AS-14 AS-16 से AS-20 (कुल 13)	10x15 फिट प्रति भू-खण्ड	1,50,000 प्रति दुकान	55,950 प्रति दुकान	27.01.2026 से 28.01.2026 तक	27.01.2026 से 28.01.2026 तक समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक	३०००Rs &1000Rswith gst per plot